



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम -मिनीरल कम्पनी)
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़
जिला - श्रीगंगानगर - 335804 (राज.)
फोन नं. 01509-220084, 220309

NATIONAL SEEDS CORPORATION
LIMITED

(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
Website: www.indiaseeds.com

CENTRAL STATE FARM - SURATGARH
District- Sriganganagar - 335804 (Raj.)

PHONES : 01509- 220084, 220309 (Office) Tele-Fax : -01509- 223877
e-mail - cfsfgmkg@gmail.com

GST No. 08AABCN8973FZ23

क्रमांक: सीएसएफ / एसओजी / 10-2 / विपणन / 2018-19 249

दिनांक: 20.07.2018

अल्पकालीन खुली निविदा

कृषि रसायन विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ को निम्न कृषि रसायनों की आवश्यकता है जिनकी दरें मोहरबन्द लिफाफे में दिनांक 26.7.2018 को दोपहर 2.00 बजे तक निदेशक, केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर को प्रेषित करें। जो उसी दिन दोपहर 3.00 बजे सन्निधि के द्वारा खोली जायेगी। निविदा के साथ धरोहर राशि रुपये 20000.00 का बैंक ड्रॉपट जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़ के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक, सूरतगढ़ (IFSC Code No: SBIN0007774) पर देय हो. निविदा के साथ जमा/संलग्न करना होगा। निविदा सम्बन्धी जानकारी निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com पर भी देखी जा सकती है।

S.NO.	Name of Agrochemicals	Unit	Required Qty.
1	Imyzathyper 35% + Imazamox 35% WG	Kg.	34.00

निविदा की नियम व शर्तें :-

- कीटनाशी रसायन आईएसआई अथवा आईएसओ ब्राण्डेड मार्क होना चाहिए।
- निविदा में रसायन का नाम, कम्पनी का नाम, आईएसआई, आईएसओ मार्क रसायन है का ब्यौरा लिखना अति आवश्यक है।
- सभी रसायन की दर प्रति लीटर/किलोग्राम समस्त कर सहित देनी होगी।
- रसायनों की समस्त आपूर्ति, आपूर्ति आदेश प्राप्ति के तुरन्त पश्चात 3-4 दिन में केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ के गोदान पर करनी होगी।
- रसायनों की जीव मान्यता प्राप्त कीटनाशी प्रयोगशाला में भेजकर कराई जायेगी। जिसका नमूना केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ पर फार्म समिति व फर्म प्रतिनिधि की उपस्थिति में लिया जायेगा। इसका जीव खर्च सम्बन्धित फर्म द्वारा वहन किया जायेगा।
- प्रयोगशाला द्वारा जीव के उपरान्त नमूना मानक स्तर का घोषित होने के उपरान्त फार्म द्वारा 15 दिन के अन्दर जीव खर्च काटकर भुगतान कर दिया जायेगा।
- अपूर्ण निविदा होने पर निविदा मान्य नहीं होगी।
- निविदादाता को GST नम्बर की छाया प्रति निविदा के साथ संलग्न करनी होगी।
- निविदादाता द्वारा निविदा में दी गई कोई भी नियम व शर्त फार्म को मान्य नहीं होगी।
- रसायनों की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
- रसायन जीव में अमानक स्तर का घोषित होने पर, सम्बन्धित फर्म, जीव खर्च फार्म में जमा करवाकर पूरा अमानक रसायन अपने स्वयं के खर्च पर वापिस ले जायेगी।

विपणन अधिकारी
कृते निदेशक